संख्या-11/2017/ 980/26-2-2017-100(69)/2002

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ दिनांकः 11 जुलाई, 2017

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत किये गये प्राविधान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति में संशोधन किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-80 के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिये आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 1151.00 करोड़ के सापेक्ष लेखानुदान अवधि (माह अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017 तक) हेतु धनराशि रू0 479.5830 करोड़ (रू0 चार अरब उन्यासी करोड़ अटठावन लाख तीस हजार मात्र) शासनादेश संख्या-05/2017/433/26-2-2017-100(69)/2002, दिनांक 01.05.2017 द्वारा स्वीकृत कर आपके निवर्तन पर रखी गई है। उक्त शासनादेश दिनांक 01.05.2017 में त्रुटिवश विभिन्न स्थानों पर ''आयोजनागत पक्ष'' अंकित हो गया है। अतः उक्त शासनादेश दिनांक 01.05.2017 में विभिन्न स्थानों पर त्रुटिवश अंकित ''आयोजनागत पक्ष'' को पूर्णरूप से विलोपित (डी-लिट) समझा जायः-

2- उक्त शासनादेश संख्या-05/2017/433/26-2-2017-100(69)/2002, दि0 01.05.2017 को इस सीमा तक संशोधित पढ़ा एवं समझा जाय। शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

कामता प्रसाद
अनु सचिव।

संख्या-11 /2017/980 (1)/26-2-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. एन0एस0ए0पी0 डिवीजन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ ।
5. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 एवं नियोजन अनुभाग-3
8. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
9. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।